

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 3952/2025

Bhanwar Lal S/o Chauthmal, R/o Baroondhan, Thana Talera,
Distt. Bundi (Raj.) (At Present Confined In J.c. Dist. Bundi).

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	: Dr. Mahesh Sharma
For Respondent(s)	: Mr. Manvendra Singh, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

08/04/2025

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना— तालेड़ा, जिला— बूंदी में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या— 429/2023 अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 34 भारतीय दंड संहिता में पेश किया गया है। कालांतर में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र धारा 341, 323, 324, 325, 307/34 भारतीय दंड संहिता में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में झूठा संबद्ध किया गया है। उनका तर्क है कि प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत आवेदन इस न्यायालय द्वारा इस स्वतंत्रता के साथ अस्वीकार किया गया था कि प्रार्थी/अभियुक्त आहत देवराज एवं संबंधित मेडिकल ज्यूरिस्ट की साक्ष्य लेखबद्ध होने के उपरांत पुनः जमानत याचिका प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेगा। तदुपरांत प्रकरण में पीडब्ल्यू 1 आयुष, पीडब्ल्यू 2 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी बृजमोहन मालव एवं आहत पीडब्ल्यू 3 देवराज के कथन लेखबद्ध हो चुके हैं। अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा आहत को सर्वप्रथम जिस अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती कराया गया था, उक्त प्रदर्श डी 1 दस्तावेज को प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रदर्श डी 1 मैत्री अस्पताल में आहत देवराज के भर्ती होने के

कागजात हैं, जिसके अनुसार डिस्ट्रिक्ट समरी में यह तथ्य अंकित किया गया है— "RTA - FALL FROM BIKE ON 6/12/2023 AT TALEDA BUNDI". उनका तर्क है कि संबंधित मेडिकल ज्यूरिस्ट ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में आहत को कारित सिर की चोट के संदर्भ में यह संभाव्यता प्रकट की है कि उक्त चोट दुर्घटना में गिरने से आना संभव है। उनका यह भी तर्क है कि आहत को कारित एक चोट ही प्राणघातक होना पाई गई है और उक्त चोट दुर्घटना से आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 18.11.2024 से अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण में साक्षीगण की लंबी सूची है और प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में एक प्रकरण अवश्य पंजीबद्ध हुआ है, परंतु वह वर्ष 2008 का प्रकरण है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। उनका तर्क है कि प्रकरण में पीडब्ल्यू 3 देवराज द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी साक्ष्य में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उसके सिर पर उक्त चोट कारित करना उल्लेखित किया गया है। प्रकरण में अन्य महत्वपूर्ण चक्षुदर्शी साक्षीगण की साक्षी अभी तक लेखबद्ध नहीं हुई है। अतः प्रकरण के गंभीर तथ्यों व आहत को कारित चोट इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन अस्वीकार किया जाए।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुणों पर टिप्पणी किया जाना अपेक्षित नहीं है। पीडब्ल्यू 2 संबंधित चिकित्सा अधिकारी ने अपने प्रतिपरीक्षण में उक्त चोट दुर्घटना के फलस्वरूप आए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया है और प्रकरण में प्रदर्श डी 1 संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ है, जिसमें आहत के मैत्री अस्पताल में भर्ती होने के तथ्य सामने आए हैं तथा आहत को कारित उक्त चोट के संदर्भ में "RTA - FALL FROM BIKE ON 6/12/2023 AT TALEDA BUNDI" उल्लेखित किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में एक आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होना अवश्य पाया गया है, परंतु वह वर्ष 2008 का प्रकरण है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त लगभग चार माह से अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण में अन्य साक्षीगण के साक्ष्य लेखबद्ध होने में समय

लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए और विशिष्टतः इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि पीडब्ल्यू 3 आहत देवराज के बयान लेखबद्ध हो चुके हैं, मैं प्रार्थी/अभियुक्त का द्वितीय जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता हूँ। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का द्वितीय जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **भंवर लाल पुत्र चौथमल** की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J